संख्या–78/XXVII(7)02/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक/7 मई, 2017

विषयः राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को अनुमन्य मंहगाई भत्तें की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1/3/2017–ई.II(बी) दिनांक 30 मार्च, 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–296/XXVII(7)/02/2016 दिनांक 30.12.2016 के क्रम में राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवकों को, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है तथा जिन्हें दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02% महंगाई भत्ता अनुमन्य है, को दिनांक 01 जनवरी, 2017 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 4% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3– यह मंहगाई भत्ता परिलब्धियों का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 9(21)के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4– शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(M)97 दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

5– उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 30 अप्रैल, 2017 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा 01 मई, 2017 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी। शेष धनराषि उन्हें नगद भुगतान की जायेगी।

6– उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 78 / XXVII(7)02 / 2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग / शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय / उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपक्रम / निकाय के कार्मिकों को उक्तानुसार दरों पर महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
10. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी / कुलसचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
15. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
16. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।